

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बाबल) : (क) गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने के बारे में समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि मूल्य आयोग से आगामी चीनी मौसम के लिए अधिसूचित किए जाने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्यों की सिफारिश करने के लिए अनुरोध करती है। आने वाले वर्ष के लिए भी कृषि मूल्य आयोग से अपनी सिफारिशें करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों/अन्य संस्थानों से अपने अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने और राज्य सरकारों आदि के विचारों पर विचार करने के बाद न्यूनतम मूल्य अधिसूचित किए जाएंगे।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय विभिन्न संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और इस में गन्ने के उत्पादन की लागत, उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों से प्राप्ति और कृषि जिन्यों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उचित मूल्य पर उपभोक्ता को चीनी की उपलब्धता, चीनी उत्पादकों द्वारा जिस मूल्य पर गन्ने से उत्पादित चीनी बेची जाती है और गन्ने से चीनी की वसूली जैसे तथ्य शामिल होते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्कूलों को आवंटित भूमि

28. श्री सत्य देव सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत दो वर्षों में अनेक अनुदान तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों को घटी दरों पर भूमि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं और प्रत्येक स्कूल को कितनी-कितनी तथा किन-किन स्थानों पर भूमि आवंटित की गई तथा किन-किन तारीखों को आवंटित की गई; और

(ग) क्या गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी घटी दरों पर भूमि आवंटित की गई थी और यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं, उन्हें कितनी भूमि आवंटित की गई तथा उक्त आवंटन के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र खन्वर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एक.टी.-296/77]।

(ग) ऐसे स्कूलों के नाम संलग्न सूची की क्रम संख्या 16-22 में दिए गए हैं। इन स्कूलों में से क्रम संख्या 16-19 के स्कूलों को एक लाख रुपया प्रति एकड़ की दर पर जमीन आवंटित की गई थी। क्रम संख्या 20-22 के स्कूलों को जमीन 5000 रुपया प्रति एकड़ की घटी दरों पर आवंटित की गई थी। विवरण में प्रत्येक स्कूल के सामने कारण दर्शाया गया है।

Vishwayatan Yogashram in New Delhi

29. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) terms and conditions on which land has been given to erstwhile Prime Minister Mrs. Indira Gandhi and her family's associate, Shri Dharendra Brahmachary and this Organisation